

पुलिस मुठभेड में घायल एक इनामिया अपराधी सहित अन्तर प्रान्तीय दो शातिर इनामिया (25-25 हजार) अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से जेवरात, एक अवैध तमंचा, 04 खोखा/जिंदा कारतूस व पेचकश, पिलाश बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में वांछित/संदिग्ध व्यक्ति/जिला बदर तथा इनामिया अपराधियो, व जनपद में हो रही चोरी, लूट से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री महेश सिंह अत्री, श्रीमान क्षेत्राधिकारी घोसी महोदय श्री दिनेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में एसओजी/स्वाट/थाना घोसी पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 04/04/2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर समय करीब 02:20 बजे रात्रि सरहरा जमीन सरहरा पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड में अन्तर्राज्यीय शर्फों की दुकान से चोरी करने वाले व 25 -25 हजार का पुरस्कार घोषित दो अभियुक्त गिरफ्तार व गिरफ्तारी के दौरान एक अभियुक्त नरेश पुत्र जियाराम के पैर में गोली लगी जिसका इलाज कराया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. नरेश पुत्र जियाराम निवासी ग्राम भोजपुर नरायनपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं।
2. कोमल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम धनपुरा थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

बरामदगी का विवरण-

1. 14 अदद पाजेब सफेद धातु वजन 797 ग्राम
2. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
3. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
4. तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. दो अदद पेचकश
6. एक अदद पिलाश

आपराधिक इतिहास

कोमल पुत्र घनश्याम नि0 धनपुरा, कादर चौक जनपद बदायूं-

1. 985/2010 कादर चौक बदायूं बदायूं (उ0प्र0)
2. 0136/2016 60 आबकारी सिविल लाइंस बदायूं (उ0प्र0)
3. 0020/2025

25, 3, 4 आयुध अधिनियम

305, 317(2), 331(4) बीएनएस घोसी मऊ (उ0प्र0)

4. 0005/2025
305, 331(4) बीएनएस रानीपुर मऊ (उ0प्र0)
5. 89/2025 334(1), 303(2) बी.एन.एस. बालीडीह बोकारो (झारखण्ड)
6. 153/2025 109 बीएनएस/3/25 आर्म्स एक्ट घोसी मऊ

अपराधिक इतिहास-

नरेश पुत्र जियाराम नि0 भोजपुर नारायनपुर कादर चौक बदायूं

1. 0460/2017
307 भादवि कादर चौक बदायूं
2. 0462/2017
102, 41 द0प्र0स0
413, 420 भादवि कादर चौक बदायूं
3. 0473/2017
60 आबकारी अधिनियम कादर चौक बदायूं
4. 0038/2018
60 आबकारी अधिनियम 272 भादवि कादर चौक बदायूं
5. 0388/2018
60 आबकारी अधिनियम कादर चौक बदायूं
6. 0256/2021
60, 72 आबकारी अधिनियम औरैया औरैया
7. 0293/2024
305, 317(2), 331(4) बीएनएस सैदपुर गाजीपुर
8. 0248/2024
305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस बलुआ चन्दौली
9. 0007/2025
305, 317(2), 331(4) बीएनएस चन्दौली चन्दौली
10. 0005/2025
305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस बलुआ चन्दौली
11. 0016/2025
25, 3 आयुध अधिनियम 109(1), 115(2), 313, 317(2) बीएनएस बलुआ चन्दौली
12. 0020/2025

25, 3, 4 आयुध अधिनियम

305, 317(2), 331(4) बीएनएस घोसी मऊ

13 0005/2025

305, 331(4) बीएनएस रानीपुर मऊ

14 89/2025 334(1), 303(2) बी.एन.एस. बालीडीह बोकारो (झारखण्ड)

15 153/2025 109 बीएनएस/3/25 आर्म्स एक्ट घोसी मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस/एसओजी मय टीम
3. उ0नि0 प्रदीप कुमार राही
4. उ0नि0 रामअवध
5. उ0नि0 दिवाकर राना
6. का.अवनीश यादव
7. का0 अनिल चौधरी
8. का0 शैलेश कुमार
9. का0 सुनील तिवारी
10. का0 उमानन्द यादव

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 04.04.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर वलीदपुर के पास से मु0अ0सं0 131/2025 धारा 87, 137(2), 352) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रामकृत राजभर पुत्र रमई राजभर निवासी खेमाजीत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामकृत राजभर पुत्र रमई राजभर निवासी खेमाजीत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आदर्श दुबे, का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

वध हेतु जा रहे 04 राशि गोवंश (बछड़ा) बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दरौधा माधवपुर के पास से अभियुक्तगण जितेन्द्र राजभर पुत्र दिनेश राजभर निवासी

भौरोपुर थाना घोसी, करन कुमार पुत्र रामनवमी निवासी रामपुर थाना घोसी, इजहारुल हक पुत्र सत्तार निवासी जमालपुर विकमपुर थाना घोसी, धर्मेन्द्र पुत्र मुस्तफा निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा वध हेतु ले जा रहे 04 राशि गोवंश (बछड़ा) सहित एक अदद पिकअप बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मधुबन में मु0अ0सं0 107/25 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशू क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण—

1. जितेन्द्र राजभर पुत्र दिनेश राजभर निवासी भौरोपुर थाना घोसी जनपद मऊ
2. करन कुमार पुत्र रामनवमी निवासी रामपुर थाना घोसी जनपद मऊ
3. इजहारुल हक पुत्र सत्तार निवासी जमालपुर विकमपुर थाना घोसी जनपद मऊ
4. धर्मेन्द्र पुत्र मुस्तफा निवासी रामपुर खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ

बरामदगी—

1. 04 राशि गोवंश (बछड़ा)।
2. एक अदद पिकअप।